

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला उज्जैन(म0प्र0)

जिले में खाद्य विभाग का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को षासकीय उचित मूल्य के माध्यम से उचित मूल्य से सामग्री वितरण करना एवं आवश्यक वस्तुओं की सुगम उपलब्धता एवं भावों पर नियंत्रण रखता है। जिले में षहरी क्षेत्र में 158 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 398 दुकानें इस प्रकार कुल 556 उचित मूल्य दुकान सहकारिता के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

नगर उज्जैन में 4 षा.उ.मू.दुकानें ब्रांच के रूप में संचालित हैं, इसप्रकार कुल 108 दुकानें उज्जैन नगर में संचालित हैं। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, षक्कर एवं केरोसीन आदि का वितरण किया जाता है। उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाने हेतु 9 संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित कर व्यवस्था की जाती है। इन 9 संस्थाओं में भारतीय खाद्य निगम, ऑयल कंपनी, वेयर हाउस, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, लीड संस्थाएँ, होलसेलर एवं सेमीहोल सेलर तथा लिंक संस्थाएँ हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को नीले राशनकार्ड पर गेहूं 5 रू0प्रतिकिलों एवं चावल 6.50रू0प्रतिकिलो के मान से कुल 35 किलो खाद्यान्न(गेहूं/चावल) वितरण करने के निर्देश हैं। शक्कर 13.50 पैसे प्रतिकिलो प्रतिव्यक्ति 500 ग्राम के मान से बीपीएल एवं अन्त्योदय कार्डधारियों को वितरण के निर्देश हैं। उपलब्धता अनुसार वितरण कराई जा रही है।

अन्त्योदय योजनांतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों के लिये पीले रंग के राशनकार्ड पर गेहूं 2 रूपये प्रतिकिलो एवं चावल 3 रू0 प्रतिकिलों के मान से कुल 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण के निर्देश हैं। विभाग का लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्राथमिकता रही है कि पात्र परिवारों को षासन से प्राप्त सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें। खाद्यान्न, षक्कर आदि के बिक्री भाव निम्नानुसार है:—

<u>नियंत्रित वस्तुओं के नाम</u>	<u>विक्रय मूल्य</u>
चावल सामान्य	9.20 प्रतिकिलो
गरीबी रेखा के नीचे	6.50 प्रतिकिलो
अन्त्योदय	3.00 प्रतिकिलो

गेहूँ	सामान्य	7.00 प्रतिकिलो
	गरीबी रेखा के नीचे	5.00 प्रतिकिलो
	अन्त्योदय	2.00 प्रतिकिलो
षक्कर	केवल गरीबी रेखा	13.50 प्रतिकिलो
	के कार्डधारियों को	

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले में 6 प्रदाय केंद्रों पर खाद्यान्न एवं षक्कर उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ से लिंक एवं लीड संस्थाओं द्वारा सामग्री उठाकर उचित मूल्य दुकानों पर वितरण हेतु पहुंचाई जाती है।

केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं सहकारिता विभाग द्वारा सभी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में षासकीय उचित मूल्य दुकानें प्रतिदिन नहीं खोली जाती हैं। दुकानें खोलने का समय व दिन निश्चित किया गया है। मुख्यालय पर स्थित उचित मूल्य की दुकानों को प्रतिदिन खोला जाता है।

केरोसीन:— जिले में केरोसीन के 13 थोक डीलर कार्यरत हैं। वर्तमान में माह जनवरी 07 से षहरी क्षेत्र में 4 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 लीटर प्रति कार्ड के मान से केरोसीन उपभोक्ताओं को 9.04 से 9.38 रूपये प्रति लीटर के निर्धारित भाव पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उज्जैन नगर एवं तराना नगरीय क्षेत्र में 57 हाकर एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्धता के अनुसार साप्ताहिक हाट बाजार में 2 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से बिना राषनकार्ड के केरोसीन वितरण की व्यवस्था की गई है।

जन केरोसीन योजना :- जन केरोसीन योजना, तहसील तराना में संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को केरोसीन थोक डीलर नियुक्त किया गया है। थोक डीलर द्वारा तहसील अंतर्गत सात सेमी होल सेल डीलरों के माध्यम से तहसील अंतर्गत संचालित समस्त 83 उचित मूल्य दुकानों को केरोसीन का प्रदाय किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 में जिले को प्राप्त खाद्यान्न का आबंटन एवं उठाव:—पत्रक संलग्न है।

प्रकरणों की स्थिति :- माह अप्रैल 06 से मार्च 2007 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कुल 185 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिनमें रूपये 105,30,863 मूल्य की सामग्री जप्त की गई, जिसमें से 233 प्रकरणों का निराकरण किया जा कर 29,56,877 रूपये की सामग्री राजसात की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/वाहनों आदि की जाँच कर 172 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 5 गैस अंतरण उपकरण तथा केरोसीन 3449 लीटर जप्त कर प्रकरण निर्मित किये गये, नीले केरोसीन चलाये जाने से 70 ट्रक/ऑटो रिक्शा एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का वाहन में उपयोग करने के कारण 49 वाहन जप्त किये।

दुकान सह गोदाम निर्माण:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु राषि रूपये 5.80 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। उपलब्ध राषि से 2 दुकान सह गोदाम का निर्माण हेतु ग्राम 1. रून्खेड़ा तहसील ,खाचरौद, 2. खंडवा बीबी, तहसील बड़नगर का चयन किया गया है। जिला सह.केन्द्रीय बैंक के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष में राषि उपलब्ध करा दी गई है।

मिट्टी तेल संग्रहण हेतु टैंकर/ ड्रम का क्रय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में मिट्टी तेल संग्रहण हेतु टैंकर/ड्रम का क्रय करने हेतु राषि रूपये 2 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त राषि से 1000 लीटर क्षमता वाले 21 टैंकरों का क्रय हेतु राषि रूपये 195142 व्यय की गई है। केरासीन भंडारण हेतु सह.समितियों को टैंकर प्रदाय किये जा चुके हैं।

नवीन राशनकार्ड :- नवीन राशनकार्ड बनाने के संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों को संबंधित आयुक्त नगरपालिका निगम,नगरीय निकाय,जनपदों,नगरपालिकाओं आदि को भेजकर राशनकार्ड निर्मित कर वितरण करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके हैं,ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल.एवं ए.ए.वाय. राशनकार्डों का वितरण कार्य प्रारंभ हो गया एवं उज्जैन शहर में ए.पी.एल. राशनकार्डों का वितरण प्रारंभ किया जा चुका है।

नवीन राशनकार्डों की प्रगति का पत्रक संलग्न है।

सीएनजी आउटलेट :-उज्जैन जिले में सी.एन.जी आउटलेट स्थापना हेतु कोई जानकारी कंपनी द्वारा नहीं दी गई है। परन्तु ऑटो एल.पी. जी आउटलेट स्थापना हेतु मे.लंगर ऑटो सेल्स एण्ड सर्विस देवास रोड उज्जैन एवं मे.प्रकाश ऑटो सेल्स एण्ड सर्विस आगर रोड उज्जैन को स्वीकृति कंपनी(आई.ओ.सी) द्वारा दी गई है एवं लंगर ऑटो सेल्स एण्ड सर्विस देवास रोड उज्जैन पर पंप स्थापना का कार्य लगभग पूर्णता पर है।

समर्थन मूल्य :- रबी विपणन वर्ष 2007 -08 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन उज्जैन अभिकर्ता के रूप में निम्न विपणन सहकारी समिति/सेवा सहकारी समिति को उपार्जन केन्द्र निम्नानुसार घोषित किये गये है, शासन द्वारा 750 रूपये मूल्य एवं 100 अतिरिक्त बोनस निर्धारित किया गया है। माह मार्च 07 में 58 क्विंटल गेहूं की खरीदी विपणन सह.समिति खाचरौद द्वारा की गई हैं। 1.उज्जैन 2.तराना 3.बड़नगर 4. महिदपुर, 5. गोगापुर 6.झारड़ा 7.खाचरौद 8.नागदा 9. उन्हैल 10. दताना 11.नरवर 12. घट्टिया 13. घोषला 14. पंथपिपलई 15.बिछडोद 16. माकड़ोन 17. लोहाना 18. रूनिजा 19. भाटपचलाना 20. इंगोरिया 21. कायथा 22. कनासिया 23. खरसोदकला।

मध्यान्ह भोजन :- मध्यान्ह भोजन का आवंटन जिला पंचायत उज्जैन से माह अप्रैल 07 तक का प्राप्त हो चुका हैं। मध्यान्ह भोजन के लिये सफेद गेहूं का प्रदाय किया जा रहा है, मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक
उज्जैन

नगर उज्जैन में नवीन राशनकार्ड 2007 की वितरण व्यवस्था हेतु प्रस्ताव :- नगर उज्जैन में नवीन ए.पी.एल. बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाय राशनकार्डों की षा.उ.मू. दुकानों के मध्य वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिला योजना समिति से निम्न प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-

1. नगर उज्जैन में 108 षा.उ.मू.दुकानें संचालित हैं, जिन्में 104 मुख्य दुकानें एवं 4 ब्रांच के रूप में कार्यरत हैं। इन दुकानों को सभी योजनाओं के राशनकार्डों का आवंटन किया जाना है, इसके लिये सभी दुकानों को समानपातिक (एक समान) संख्या में राशनकार्डों, के आवंटन का प्रस्ताव है।
2. षासन निर्देशानुसार जिले को बी.पी.एल., अन्त्योदय राशनकार्ड के लक्ष्य के साथ-साथ ए.पी.एल. कार्डों का भी लक्ष्य दिया गया है। ए.पी.एल. कार्डों के लक्ष्य का आधार 2001 की जनसंख्या में 2.5 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि उपरांत 5.5 सदस्य संख्या को एक परिवार का आधार माना गया है। अतः सभी निकायों को निर्धारित लक्ष्य से अधिक ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी नहीं करने बाबत, निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है
3. षासन निर्देशानुसार सर्वप्रथम अन्त्योदय कार्ड, बाद में बी.पी.एल कार्ड तथा अंत में ए.पी.एल. कार्ड वितरण करने के निर्देश हैं किंतु नगर पालिका उज्जैन द्वारा अन्त्योदय व बी.पी.एल. कार्डों का वितरण न करते हुए ए.पी.एल. कार्डों का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। अतः नगर पालिका निगम उज्जैन को तत्काल ए.पी.एल. कार्डों का वितरण रोककर सर्वप्रथम अन्त्योदय व बी.पी.एल. कार्डों का वितरण सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव है।
4. नगर उज्जैन में वार्ड वार दुकानें संचालित नहीं हैं, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ एक भी दुकान संचालित नहीं है तथा कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ दो से अधिक दुकानें संचालित हैं। अतः ऐसी दुकानों को जहाँ अन्य वार्डों के कार्डों को संबद्ध किया गया है, वे दुकानें संबंधित वार्ड में , अधिकतम 6 माह की अवधि के भीतर दुकानें स्थांतरित करने के आदेश जारी करने का प्रस्ताव है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक
उज्जैन

खाद्यन्न/शक्कर/केरोसीन के आबंटन एवं उठाव की जानकारी

माह का नाम	बी0पी0एल0 योजना (क्विं0 में)				अन्त्योदय योजना (क्विं0 में)				शक्कर (क्विं0 में)		केरोसीन (मात्रा किलो लीटर में)	
	गेहूँ		चावल		गेहूँ		चावल					
	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल-06	24000	24220	5500	2690	7260	7270	300	270	2960	140	1572	1572
मई-06	20960	27708	6300	4153	7260	7982	300	389	3790	134	1572	1572
जून-06	20890	21626	6370	4357	9270	8985	530	392	3790	2688	1572	1572
जुलाई-06	20890	19236	6370	4478	9270	8863	530	514	3790	1878	1572	1572
अगस्त-06	20890	15370	6370	3950	9270	7498	530	423	3790	0	1572	1572
सितम्बर-06	20890	18360	6370	4341	9270	9339	530	527	3770	899	1572	1572
अक्टूबर-06	20890	19628	6370	2961	9270	9087	530	400	3770	500	1572	1572
नवम्बर-06	20890	21125	6370	3326	9270	9390	530	551	3770	817	1572	1572
दिसंबर-06	20890	21309	6370	3838	9270	9555	530	478	4610	3152	1572	1572
जनवरी-07	20890	18237	6370	3186	9270	8804	530	439	3770	3257	1488	1488
फरवरी-07	20890	29053	6370	5054	9270	8312	530	606	3770	605	1488	1488
मार्च-07	20890	18891	6370	3645	9270	8168	530	540	3770	2478	1488	1488
योग	253860	254763	75500	45979	107220	103253	5900	5529	45350	16548	18612	18612

जिला आपूर्ति नियंत्रक
उज्जैन